

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 1724 / VII-1 / 24-ख / 2007
देहरादून : दिनांक: 30 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1207 / VII-1 / 24-ख / 2007, दिनांक 07 अगस्त, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली 2015 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम-21) के क्रमांक-3 पर इंगित ईट की राय दर को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	वर्तमान प्राविधान	एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
1.	दिनांक 07 अगस्त, 2015 को निर्गत नियमावली की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम-21) के क्रमांक-3 पर ईट की रायल्टी दर रु० 2000.00 प्रति हजार ईट	दिनांक 07 अगस्त, 2015 को निर्गत नियमावली प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की (नियम-21) के क्रमांक-3 की रायल्टी दर 1000.00 प्रति हजार ईट

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1724 (1) / VII-1 / 24-ख / 2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त उप निदेशक, खनन/भूविज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड सम्बन्धित जनपद।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना व असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(धीरेन्द्र सिंह दताल)
संयुक्त सचिव।